निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 503) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश
20 मई 2024

सं० 27 / आरोप–01–16 / 2019–7889 / सा0प्र0—माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–4320 / 2024 प्रभात भूषण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.01.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

" Having regard to the facts and circumstances of the case, in the interest of justice and considering the equities prevailing in the present case, I deem it fit and proper to set aside the order dated 24.11.2023 passed by the Deputy Secretary to the Government, General Administration Department, Government of Bihar, Patna and direct the appellate authority to reconsider the appeal filed by the petitioner on 06.11.2023, on merits, without being impeded by the issue of limitation and pass a reasoned and a speaking order thereon within a period of six weeks from today."

The writ petition stands allowed to the aforesaid extent.

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5772 दिनांक–24.03.2023 द्वारा अधिरोपित दंड एवं उक्त दंडादेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध श्री प्रभात भूषण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–4320 / 2024 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक–22.03.2024 को पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–24.11.2023 को समर्पित इनके अपील अभ्यावेदन के आलोक में पारित विभागीय आदेश को रद्द करते हुए अपीलीय प्राधिकार को निदेश दिया गया है कि

श्री प्रभात भूषण के अपील अभ्यावदन दिनांक–06.11.2023 को उसके मेरिट के आधार पर पुनर्विचार किया जाय तथा एक सकारण एवं मुखर आदेश 6 सप्ताह के भीतर किया जाय।

3. उल्लेखनीय है कि वादी प्रभात भूषण, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1241/11, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर के विरूद्ध बाल सुधार गृह, का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं किये जाने के फलस्वरूप बाल सुधार गृह, मुंगेर से दिनांक 08.02.2017 को सुधार गृह से 8 बच्चों के फरार हो जाने से संबंधित समाज कल्याण विभाग से प्राप्त आरोप–पत्र के आधार पर इस विभाग के स्तर से आरोप गठित करते हुए उस पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री भूषण द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री भूषण से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समाज कल्याण विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया।

4. श्री प्रभात भूषण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं समाज कल्याण विभाग के मंतव्य की समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रभात भूषण को दोषी पाते हुए इन्हें निन्दन (आरोप वर्ष–2016–17) एवं दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5772 दिनांक–24.03.2023 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

5. उक्त दंडादेश क विरूद्ध आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक–06.11.2023 समर्पित किया गया, जो इस विभाग को दिनांक–07.11.2023 को प्राप्त हुआ।

6. सक्षम प्राधिकार द्वारा अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के नियम–25 में विहित प्रावधानों के आलोक में अपील अभ्यावेदन को कालबाधित मानते हुए उसे विभागीय आदेश ज्ञापांक–21638 दिनांक 24.11.2023 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

7. श्री भूषण द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में मुख्य रूप से उल्लेखित किया गया है कि :–

(i) माननीय न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरीक्षण के क्रम में उक्त भवन के जर्जर होने का उल्लेख है, फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को सुरक्षा की दृष्टि से उक्त भवन के सुदृढ़ीकरण का कार्य करने का निदेश दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मामला उक्त बाल सुधार गृह की आवश्यक मरम्मती एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ीकरण तक ही केन्द्रित था, न कि बाल सुधार गृह के स्थानांतरण का। निर्गत दंडादेश में बाल सुधार गृह का स्थानांतरण कर बच्चों का पलायन रोकने में असफल रहने को आधार बनाया गया है।

(ii) माननीय निरीक्षी न्यायमूर्ति द्वारा जर्जर भवन की मरम्मती करवाने संबंधी निदेश का यदि त्वरित कार्यान्वयन किया जाता या मरम्मती के बदले भवन का स्थानांतरण की कार्रवाई का आदेश दिया जाता, तो यह कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाती। बाल सुधार गृह, मुंगेर का निर्माण, भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था जो मात्र चार वर्षों में ही जर्जर हो गया।

(iii) बाल सुधार गृह, मुंगेर में एक अधीक्षक भी पदस्थापित थे। वर्णित बच्चों के पलायन के मामले में अधीक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी तथा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, मुंगेर प्रमंडल के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

8. श्री भूषण के अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि:–

(i) बाल सुधार गृह की स्थिति काफी जर्जर थी। अपने स्पष्टीकरण में श्री भूषण द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि दिनांक 01.03.2015 को माननीय न्यायमूर्ति के निरीक्षण प्रतिवेदन से उन्हें यह संज्ञान था कि भवन सुरक्षित नहीं है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पलायन की घटना के लिए भवन निर्माण विभाग को दोषी ठहराकर स्वयं को कर्त्तव्य मुक्त मान लिया गया है, जो उचित नहीं है।

(ii) इनके द्वारा भवन की मरम्मती हेतु पत्राचार किया गया। अगर मरम्मती एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा था, तो वरीय पदाधिकारी होने के नाते श्री भूषण का कर्त्तव्य था कि उक्त मामले में और अधिक सजगता बरतते हुए व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए मरम्मती/स्थानांतरण की कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाता।

(iii) अव्यस्क बच्चों के सुधार गृह की सुरक्षा एवं मरम्मती जैसे संवेदनशील मामले में मात्र पत्राचार कर कर्त्तव्यों से विमुख नहीं हुआ जा सकता है। लापरवाही के कारण ही बाल सुधार गृह के बच्चों का पलायन हुआ है। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई का दायित्व होता है कि वे अपने जिले के वरीय पदाधिकारियों से समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर बाल सुधार गृहों की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। श्री भूषण द्वारा कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।

अतएव इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री प्रभात भूषण के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5772 दिनांक–24.03.2023 द्वारा अधिरोपित "निन्दन (आरोप वर्ष 2016–17) एवं दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक" की शास्ति को बरकरार रखा जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)503-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in